



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2280 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, मार्च 15, 2016

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय: जनपद देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी-सैज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है0वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

संदर्भ: प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/ 11483 / 2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने पत्रांक 2962/12-1 दिनांक 7-12-2016 के द्वारा विषयांकित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। विषयांकित प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई (प्रमीटर)	X	क्षेत्रफल हेक्टर	बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं।
1	2	3	4	5	6	
रीवर रेंज	सिविल वन भूमि ग्राम सैज व दिलउ तहसील कालसी ब्लॉक कालसी	1425 X 7	0.9975	19	4	
	योग वन भूमि	1425	0.9975	19	4	
रीवर रेंज	नाप भूमि- ग्राम सैज व दिलउ	2575 X 7	1.8025	15	0	
	योग	4000		34	4	

प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 4000 मीटर है, जिसमें वन भूमि में बाधित 19 वृक्षों में सम्मिलित बांज के 4 वृक्ष बाधित हो रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के साथ स्थलीय निरीक्षण दिनांक 8 मार्च 2016 को किया गया है। स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी तथा निर्धारित प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। **प्रस्तावक 215 दीन प्रदी**
उत्तराखण्ड, आपके सम्मुख दिनांक 18-2-16 को जमा भवदीय

संलग्नक-यथोपरि।

(आर0के0मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक-2280 / 12-1 (1) प्रदी.

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 2962 / 12-1 दिनांक 7-12-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग, सहिया,

पत्रांक /

दिनांक / 02 / 2016

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन
संरक्षक उत्तराखण्ड

विषय:- पजिटिलानी सैन्ज मार्ग के वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ आपको को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

O/c


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०लो०नि०वि०
सहिया,

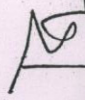
पत्रांक 282 / 6C

दिनांक 16 / 02 / 2016

प्रतिलिपि:-

- 1-प्रभागीय वना अधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-सहायक अभियन्ता प्रथम लो०नि०वि०, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/c


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०लो०नि०वि०
सहिया,


सहायक
विम रवेंक्षण निदेशालय
मि. गौरी, कोरेस्ट कालोनी
वन विभाग, (उत्तराखण्ड)
देहरादून

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम- जनपद देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी-सैज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है0वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/ 11483 / 2015**

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी हां, प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वन भूमि में 19 बाधित हो रहे हैं,जिसमें 04 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हो रहे हैं। बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी चकराता डा0 दिवाकर सिन्हा, साथ दिनांक 8मार्च 2016 को किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी में बाधित वृक्षों का विवरण अगले पृष्ठ में दिया जा रहा है।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक - 15 मार्च, 2016
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम - (आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

जनपद-देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी-सैज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में बाधित हो रहे बांज वृक्षों के स्थलीय निरीक्षण की टिप्पणी ।
प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/ 11483 / 2015

वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने पत्र संख्या 2962 / 12-1 दिनांक 07-12-2015 के द्वारा उक्त प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 कि०मी० है, जिसमें अपेक्षित वन भूमि 0.9975 है० में बाधित वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार हैं। मार्ग के समरेखण में भूमि की विधिक स्थिति के अनुसार बाधित वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है:-

सिविल वन भूमि में बाधित बांज वृक्ष

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	बाधित बाँज वृक्षों का ब्यास वर्गवार विवरण										
		0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	योग	
रीवर रेंज		0	0	2	1	1	0	0	0	0	4	
सिविल वन भूमि	ग्राम											
सैज व दिलउ तहसील												
कालसी ब्लॉक कालसी												

वन भूमि में बाधित बांज वृक्ष से अतिरिक्त बाधित वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	प्रजाति	बांज से अतिरिक्त बाधित वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण										योग
			0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	योग	
सिविल वन भूमि	रेंज -	खड़ीक, किमू	0	0	6	5	2	2	0	0	0	0	15
ग्राम सैज व दिलउ	रीवर रेंज	भीमल, दूधला, दूधला सिरस आदि											

मार्ग के समरेखण में सिविल वन भूमि में 19 वृक्ष बाधित हो रहे हैं, जिसमें 4 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता के साथ प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में बाधित वृक्षों का निरीक्षण दिनांक 8 मार्च 2016 को किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से ग्राम दिलउ तथा सैज के निवासी मुख्य मार्ग से जुड़ जायेंगे। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण कार्य सार्वजनिक जनहित का होने के कारण वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की संस्तुति की जाती है।

(आर०के० मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,
ग्रामीण वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।